(ख) समिति का गठन 2 अगस्त, 1993 को किया गया था और उससे 3 महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी । समिति को तब रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने तथा उसे प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का और समय दिया गया था ।

(ग) समिति का गठन विवरण में दिया गया है । **(नीचे देखिए)**

(घ) से (च) रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसको शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

विवरण

उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन :

1. प्रधान मंत्री . .	अध्यक्ष
2. श्री ए०के० एन्टोनी, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता कार्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री .	कार्य-वाहक अध्यक्ष
3. वित्त मंत्री . .	सदस्य
4. उपाध्यक्ष, योजना आयोग	सदस्य
5. राज्य मंत्री (ल०उ० तथा कृषि एवं ग्रा०उ०) .	सदस्य
6. राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास) . .	सदस्य
7. राज्य मंत्री (श्रम) .	सदस्य
8. श्री नवल किशोर शर्मा, महासचिव, ए०आई०सी० सी (आई) . .	सदस्य
9. श्री बालविजय, संयोजक, खादी मिशन, गोपुरी, वर्धा	सदस्य
10. श्री सोमदत्त, पूर्व-अध्यक्ष, के वी आई सी और सचिव, खादी आश्रम, पानीपत (हरियाणा)	सदस्य
11. श्री वी० रामाचन्द्रन, पूर्व-सदस्य सचिव, भारतीय ग्रामोद्योग (दक्षिण), कोयम्बटूर .	सदस्य
12. श्रीमती जया बेन शाह, अध्यक्ष, सौराष्ट्र रचनात्मक समिति, राजकोट .	सदस्य
13. श्री एस०के० बन्द्योपाध्याय, सचिव, गांधी स्मारक निधि तथा पूर्व सदस्य, के०वी आई सी . .	सदस्य
14. श्री अवधेष सिंह, सचिव, गांधी आश्रम, बाराबकी (उ०प्र०) . .	सदस्य
15. श्रीमती लेन्टिना ठक्कर, नागालैंड गांधी आश्रम, पी० ओ० चुचिमबंग, कोहिमा (नागालैंड) . .	सदस्य
16. अध्यक्ष, के० वी आई सी .	सदस्य
17. श्रीमती मोहिसिना किदवई	सदस्य
18. श्री मनुभाई मेहता .	सदस्य
19. श्री लक्ष्मी दास, पूर्व अध्यक्ष, के० वी आई सी .	सदस्य
20 सचिव (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग)	सदस्य

लघु क्षेत्र के उद्योगों की रुग्णता में वृद्धि

7032. श्री राम जेठमलानी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना में निरन्तर वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अवधि के दौरान इन लघु उद्योगों की रुग्णता भी बढ़ी है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1990–91, 1991–92, 1992–93 के दौरान स्थापित उद्योगों में से कितने प्रतिशत उद्योग रुग्ण हो चुके है ;

(घ) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने इस रुग्णता को रोकने के लिए कोई कदम उठाये है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां। लघु उद्योग एककों की संख्या (पंजीकृत+ अपंजीकृत) जो कि 1990 में 19.48 लाख से बढ़ कर दिसम्बर, 1991 में 20.82 लाख और दिसम्बर 1992 में 22.35 लाख तक पहुंच गयी थी ।

(ख) जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार रुग्ण लघु उद्योग एककों की संख्या मार्च 1990 में 2.18 से बढ़कर मार्च 1991 में 2.21 लाख और मार्च 1992 में 2.45 लाख तक हो गयी थी ।

(ग) आंकड़े इस रूप में नहीं रखे जाते ।

(घ) और (ङ) जी हां।

रुग्ण एककों के पुनरुजीवन हेतु केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. प्रबन्धकीय समस्याओं से निपटने के लिए सरकार उद्यमियता विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है, कार्यशालाएं आयोजित करती है, क्लिनिक इत्यादि चलाती है ।

2. प्रौद्योगिकीय समस्याओं से निपटने के लिए सरकार तकनीकी अधिकारियों द्वारा एककों की जांच की अनुमति देती है, लघु उद्योग संस्थानों के जरिये कार्यशाला सुविधाएं, परीक्षण सुविधाएं और अन्य तकनीकी मार्गदर्शन तथा क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों, औजारों-कक्षों एवं उत्पाद और प्रक्रिया विकास केन्द्रों के जरिये सहायता प्रदान करती है ।

3. विपणन संबंधी समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार मूल्य वरीयता के जरिये विपणन सहायता, सरकारी खरीद कार्यक्रम में खरीद वरीयता, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के जरिये विपणन सहायता प्रदान करती है । राज्य सरकारें लघु उद्योग विकास निगम के जरिये विपणन सहायता प्रदान करती है ।

4. बुनियादी सुविधा का प्रावधान करना राज्य सरकारों का दायित्व है जो विकसित औद्योगिक खण्ड, शेड, इत्यादि उपलब्ध कराती है ।

5. केन्द्र सरकार रुग्ण औद्योगिक एककों के पुर्नस्थापना कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संस्थानों के जरिये वित्त के प्रावधान के प्रति भी चिंतित है । वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन हेतु किए गए/प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैं :—

(i) रुग्ण एककों की पुनःस्थापना के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बकों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी करना ।

(ii) 1 अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रुपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है ।

(iii) केन्द्र सरकार के कहने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री पी०आर० नायक, पूर्व उप-गर्वनर की अध्यक्षता में

एक समिति का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट सितम्बर 1992 में प्रस्तुत कर दी थी । समिति ने ऋण, रुग्णता ऋण की समस्याओं और अन्य संबद्ध पहलुओं पर विचार किया । समिति ने रुग्ण एककों के पुनःजीवन के लिए कई सिफारिशें की हैं जिनमें रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संशोधित परिभाषा, बैंकों द्वारा अलग प्रकोष्ठों का सृजन, राज्य सरकार न्यायाधिकरण की स्थापना, शिकायतों को दूर करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र का मंच के रूप मे इस्तेमाल, राज्य स्तरीय संस्थागत समितियों को पुनःजीवित करना इत्यादि शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कुछ सिफारिशों संबंधी निर्णय की पहले ही घोषणा कर दी है जैसे : रुग्ण एककों की संशोधित परिभाषा करना और रुग्ण एककों की पुनः स्थापना पर ली जाने वाली ब्याज की कम दर ।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया है कि लघु उद्योग क्षेत्र कार्यशील पूंजी के ऋण के जरिये अपने वार्षिक उत्पादन का 20% प्राप्त करेंगे ।

(v) लघु उद्योग बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण कार्यक्रम का एक अंग है ।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन

7033. **श्रीमती सुषमा स्वराज :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक ईकाईयों में कार्यरत कामगारों के वेतनमान समान नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र की इन औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान अनेक वर्षों से संशोधित नहीं किये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो विगत में इनके वेतनमानों में कब संशोधित किया गया था ;

(ङ) क्या अब उन कर्मचारियों ने अपने वेतनमानों में संशोधन किये जाने की मांग सरकार के समक्ष रखी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक एककों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों में पूर्ण समानता नहीं है ;

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के मुख्य उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों में वर्ष 1987–88 के दौरान अंतिम बार संशोधन किया गया था । वेतनमानों मे संशोधन मंजूरी वार्ता के चौथे दौर के लिये वर्ष 1987 में जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर किया गया था ।

(ङ) और (च) कर्मचारियों ने यह मांग की है कि मंजूरी वार्ता के पांचवें दौर के अन्तर्गत उनके वेतनमानों में संशोधन किया जाए जिसके लिए दिशा निर्देश पहले ही जारी किये जा चुके हैं ।

Seminar on PSUs by scope

7034. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a seminar was organised by the Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) at New Delhi, recently.

(b) if so, the details of the discussions held in the seminar and the outcome thereof;

(c) whether there is an urgent need to make Public Sector Undertakings more competitive; and